# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 524/2006</u>

श्री जीतलाल विंध्यराज,
पंच, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़, विकासखण्ड–पाली,
जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   सरपंच, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़,
   विकासखण्ड–पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)

2. जन सूचना अधिकारी,
   जनपद पंचायत विकासखण्ड–पाली,
   जिला–कोरबा (छ.ग.) .......... प्रतिअपीलार्थीगण

:: <u>आदेश</u> ::

( <u>दिनांक 27 जनवरी 2007</u> )

श्री जीतलाल विन्ध्यराज के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद पंचायत, पाली के आदेश से असंतुष्ट होकर छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

**2/** प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़ को दिनांक 16–07–2006 को आवेदन पत्र देकर मांग की कि जनवरी 2004 से जनवरी 2006 के कार्यकाल में सरपंच एवं सचिव का नाम, पंचायत प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त अवधि में पंचायत को सभी मदों से प्राप्त चावल एवं राशि के आहरण एवं भुगतान की जानकारी, कराये गये कार्यों के मस्टर रोल की सत्यप्रतिलिपियां, पंचायत के समस्त बैंक खातों के पासबुक की सत्यप्रतिलिपि, इंदिरा आवास के लिए आहरित एवं भुगतान संबंधी जानकारी, वृद्धा/विधवा/निराश्रृत पेंशन योजना की जानकारी तथा जनवरी 2004 से जनवरी 2006 के बीच सभी मदों से प्राप्त आय एवं व्यय की जानकारी रसीद सहित मांगे। उसके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि वह गरीबी रेखा के नीचे राशनकार्डधारी है। जन सूचना अधिकारी, सरपंच, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़ के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, गरीबी रेखा का कार्ड श्री संतनलाल के नाम पर बना है। आवेदक तथा उसका परिवार अलग–अलग है तथा आवेदक का मकान पक्का बना है और वह व्यवसाय करता है। अतः गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा पंचायत को सूचित किया गया कि वह गरीबी रेखा के नीचे है और उस पर जो गरीबी रेखा के नीचे न आने का आरोप लगाया गया है, वह सही नहीं है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी से 1348/– पृष्ठ की जानकारी के लिए 2696/– रूपए

जमा करने के लिए पत्र दिनांक 01–11–2006 को लिखा गया। अपीलीय अधिकारी ने भी जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने के लिए सूचित किया। जन सूचना अधिकारी, सरपंच, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़ के द्वारा तथा अन्य पंचों के द्वारा कलेक्टर, कोरबा को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि अपीलार्थी को पूर्व में काम दिया गया था, किंतु उसके द्वारा कोई हिसाब नहीं दिया गया। अपीलार्थी डरा–धमकाकर अनुचित रूप से पंचायत से निर्माण कार्य का प्रभारी बनना चाहता था। अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर भी जानकारी प्राप्त न होने पर द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की।

**3/** आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं उनके अभिभाषक तथा उनके प्रतिअपीलार्थी, सरपंच, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़ के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एव जवाब पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि जन सूचना अधिकारी, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़ के द्वारा समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, अतः उसके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसका परिवार पृथक रहता है तथा वह व्यवसाय भी करता है। अतः उसे नियमानुसार अभिलेख शुल्क जमा करना चाहिए। अपीलार्थी ने स्वयं को श्री संतनलाल के परिवार का सदस्य बताया जो कि उसके बड़े भाई हैं। गरीबी रेखा के नीचे का राशनकार्ड श्री संतनलाल के नाम पर है। प्रकरण में विवाद यह है कि अपीलार्थी गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं। सरपंच, ग्रामपंचायत–बुड़बुड़ का कथन है कि अपीलार्थी ने पुराना राशनकार्ड प्रस्तुत किया है, जबकि इसके बाद सर्वे हो गया है। अतः इसकी जाँच की जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को निर्देशित किया जाता है कि वे इस बात की जाँच करावें कि अपीलार्थी विधिवत् गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं।

**4/** प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने काफी विस्तृत जानकारी चाही है। जनवरी 2004 से 2006 तक पंचायत के द्वारा कराये गये समस्त कार्य के जनवरी 2004 से जनवरी 2006 के कार्यकाल में सरपंच एवं सचिव का नाम, पंचायत प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त अवधि में पंचायत को सभी मदों से प्राप्त चावल एवं राशि के आहरण एवं भुगतान की जानकारी, कराये गये कार्यों के मस्टर रोल की सत्यप्रतिलिपियां, पंचायत के समस्त बैंक खातों के पासबुक की सत्यप्रतिलिपि, इंदिरा आवास के लिए आहरित एवं भुगतान संबंधी जानकारी, वृद्धा/ विधवा/निराश्रृत पेंशन योजना की जानकारी तथा जनवरी 2004 से जनवरी 2006 के बीच सभी मदों से प्राप्त आय एवं व्यय की जानकारी रसीद सहित मांगी गई है। अतः यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित समस्त अभिलेखों का अवलोकन आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर निःशुल्क कराया जावे तथा अवलोकन के उपरांत आवेदक यदि गरीबी रेखा के नीचे पाया जाता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ–2–10/06/1/6 दिनांक 12 अक्टूबर 2006 के अनुसार 100 पृष्ठों तक की जानकारी उसे निःशुल्क प्रदान की जावे। 50 छायाप्रति पृष्ठों पर या 100/– रूपए के खर्चें तक जो भी जानकारी दी जा सकती है, उसे निःशुल्क दी जावे। इससे अधिक होने पर कारण दर्शाते हुए अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार अभिलेखों

के अवलोकन की अनुमति दी जावे। वांछित अभिलेखों के अवलोकन हेतु गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को शुल्क देय नहीं होगा।

**5/** चूँकि अपीलार्थी को निःशुल्क अभिलेख प्राप्त करने की पात्रता है अथवा नहीं, इस संबंध में विवाद होने पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। अभिलेख से यह प्रमाणित नहीं होता है कि सरपंच जन सूचना अधिकारी के द्वारा दुर्भावनावश या जानबूझकर अपीलार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वर्तमान परिस्थिति में जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**6/** इस आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को भी भेजी जावे। उपरोक्त निर्देश के अनुसार वे अपीलार्थी को गरीबी रेखा के नीचे होने अथवा न होने के संबंध में जाँच कराकर जन सूचना अधिकारी को अपने निर्णय से अवगत करावें।

**7/** अपीलार्थी की अपील उपरोक्त निर्देशों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त